

मु.न.-.../.../2024 /

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु।
2. नरपत सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थीगण -

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

- अप्रार्थीगण -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138 लैंड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक ...10/01/24...


निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 125 तादादी 6.8409 हेक्टेयर, खसरा सं. 161 तादादी 3.4900 हेक्ट., खसरा सं. 164 तादादी 10.7735 हेक्ट., खसरा सं. 76 तादादी 4.7039 हेक्ट. कुल गादादी 27.8315 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम जीतुसिंह अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम रणजीत सिंह सही है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता का नाम रणजीत सिंह है। पिता के नाम में मिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 125 तादादी 6.8409 हेक्टेयर, व खसरा सं. 161 तादादी 3.4900 हेक्ट., खसरा सं. 164 तादादी 10.7735 हेक्ट., खसरा सं. 76 तादादी 4.7039 हेक्ट. कुल तादादी 27.8315 हेक्ट. में प्रार्थीगण के पिता का नाम रणजीत सिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पटवार हल्का हड़ियाल के अनुसार प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थीगण अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण के पिता का नाम जीतुसिंह की जगह रणजीत सिंह करवाने चाहते हैं। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम जीतुसिंह ही दर्ज है। अतः प्रार्थीगण के पिता का नाम जीतुसिंह की जगह रणजीत सिंह दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवार हल्का हड़ियाल की रिपोर्ट प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पृष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 125 तादादी 6.8409 हेक्टेयर, व खसरा सं. 161 तादादी 3.4900 हेक्ट., खसरा सं. 164 तादादी 10.7735 हेक्ट., खसरा सं. 76 तादादी 4.7039 हेक्ट. कुल तादादी 27.8315 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थीगण के पिता का नाम जीतुसिंह Delete कर इसके स्थान पर रणजीत सिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फंसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ...10/01/24... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)  
पीठासीन अधिकारी एवं

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)